# 3

# जी.एस.टी. का प्रभार्य

## [CHARGE OF GST]

| सीखने का परिणाम (Learning Outcomes) |
|---|
| **इस अध्याय के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे :**<br>❑ CGST, IGST, SGST तथा UTGST अधिनियम का उद्भव एवं विस्तार।<br>❑ CGST और IGST के उद्ग्रहण एवं संग्रहण सम्बन्धी प्रावधान।<br>❑ प्रतिलोमी प्रभार के अधीन प्रभार्य सेवाओं की पहचान, देयकर और विश्लेषण।<br>❑ कम्पोजीशन प्रभार्य की समझ एवं विश्लेषण—ग्राह्यता और निष्पादनीय शर्तें।<br>❑ अधिसूचना संख्या 2/2019 सीटी (आर) दिनांक 07.03.2019 की तरह रियायती दर पर कर का भुगतान करने के विकल्प की व्याख्या और विश्लेषण करें। |

**अध्याय अवलोकन** ☞

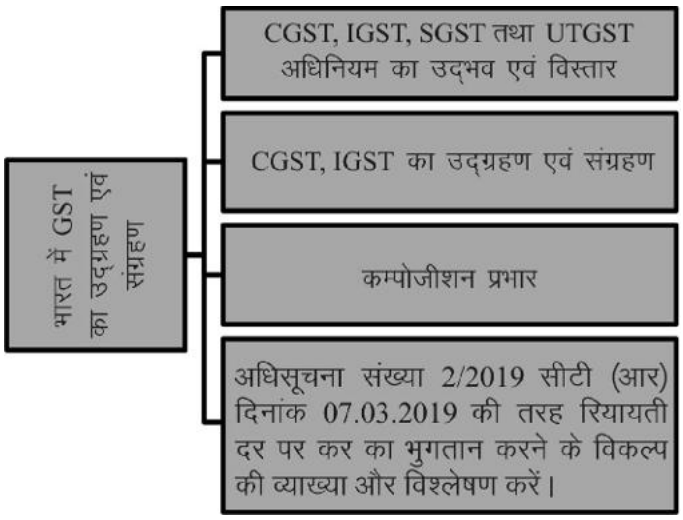


© The Institute of Chartered Accountants of India

## 1. परिचय (Introduction)

कर उद्ग्रहण की शक्ति भारतीय संविधान से प्रदत्त है। 'GST' के प्रचलन के लिये 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम की आवश्यकता हुई, जिसके अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ अतिरिक्त सीमा शुल्क, राज्य वैट और कुछ राज्यस्तरीय करों और केन्द्र द्वारा प्रभार्य सेवा कर को एकल और समग्र 'माल एवं सेवाएँ कर' के रूप में लागू किया जा सके।

(प्रथम अध्याय के शीर्षक–भारत में जी.एस.टी. एक परिचय के रूप में विस्तार से विवेचित है)

किसी भी कराधान विधान में कर उद्ग्रहण का मूल आधार 'कर योग्य घटना' होती है, अर्थात ऐसा बिन्दु जहाँ पर कर उद्ग्रहणीय हो जाता है। जैसा कि पूर्व विवेचित हो GST के अधीन कर योग्य घटना 'पूर्ति' है। CGST और SGST /UTGST का उद्ग्रहण सभी ऐसी पूर्तियों पर किया जाता है जो एक राज्य के अन्दर ही होती है, जबकि माल सेवाओं की अन्तर्राज्यीय पूर्तियों पर IGST उद्गृहीत किया जाता है।

CGST और 1GST के एकत्रण और संग्रह से संबंधित प्रावधान क्रमशः CGST अधिनियम, 2017 की धारा 9 और 1GST अधिनियम 2017 की धारा 5 में सम्मिलित है। आइए अब हम अन्तर्राज्यीय सप्लाई और राज्यान्तरिक सप्लाई का एक मौलिक विचार रखते हैं।

### राज्य के अन्दर पूर्ति
(INTRA-STATE SUPPLY)

यदि माल/सेवाओं के पूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता की स्थिति एक ही राज्य/ UT में होती है, उसको माल/सेवाओं की स्थानीय पूर्ति अथवा राज्य के अन्दर पूर्ति कहा जाता है।

### अन्तर्राज्यीय पूर्ति
(INTER-STATE SUPPLY)

यदि माल/सेवाओं के पूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता की स्थिति (i) दो विभिन्न राज्यों या (ii) दो विभिन्न संघीय प्रदेशों या (iii) किसी राज्य और संघीय प्रदेश में होती है, उसको माल/सेवाओं की 'अन्तर्राज्यीय पूर्ति' कहा जाता है।

## 2. प्रासंगिक परिभाषाएँ (Relevant Definitions)

- **केन्द्रीय कर** (Central tax) : धारा 9 के तहत लगाया जाने वाला केंद्रीय वस्तु और सेवा कर। [CGST अधिनियम की धारा 2(21)]
- **एकीकृत कर** (Integrated tax) : एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम के तहत लगाया जाने वाला एकीकृत वस्तु और सेवा कर। [CGST अधिनियम की धारा 2(58)]

© The Institute of Chartered Accountants of India

- **राज्य कर** (State tax) : किसी भी राज्य के वस्तु और सेवा कर अधिनियम के तहत लगाया गया कर। [CGST की धारा 2(104)]
- **माल** (Goods) : माल का आशय मुद्रा एवं प्रतिभूतियों को छोड़कर सभी प्रकार की चल सम्पत्ति से है, परन्तु इसमें शामिल हैं वाद योग्य दावे, उगती फसलें, घास और भूमि से जुड़ी हुई अथवा भाग रूपी वस्तुएँ जिनका पूर्ति से पूर्व पृथकीकरण अनुबन्ध के अधीन सहमत है। (CGST Act की धारा 2 (52))
- **कर मुक्त पूर्ति** (Exempt supply) : का आशय माल/सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति से है जिस पर कर कि शून्य दर लागू है, अथवा जिस पर धारा 11 के अधीन अथवा IGST Act की धारा 6 के अधीन पूर्णतः कर मुक्ति प्राप्त है। और इसमें शामिल है गैर कर योग्य पूर्ति [धारा 2 (47) CGST Act]
- **सकल आवर्त** (Aggregate turnover) : का आशय से भी कर योग्य पूर्तियों, (ऐसी आन्तरिक पूर्ति को छोड़कर जिस पर व्यक्ति द्वारा प्रतिलोमी प्रभार के अधीन कर देय है) कर मुक्त पूर्तियों माल/सेवाओं का निर्यात और एक ही PAN धारक व्यक्तियों की अन्तर्राज्यीय पूर्तियों के सकल मूल्य से है, परन्तु इसमें शामिल नहीं हैं, केन्द्रीय कर, राज्यकर, संघ प्रदेशीय कर, IGST और उपकर। [धारा 2(6) CGST Act]
- **व्यवसाय** (Business) : में शामिल है–

(a) किसी भी व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, पेशे, व्यवसाय, साहस, दाँव या किसी अन्य इसी तरह की गतिविधि, चाहे वह आर्थिक लाभ के लिए हों या नहीं।

(b) ऊपर दिए उप–खण्ड (a) के सम्बन्ध में या प्रासंगिक या सहायक के सम्बन्ध में कोई गतिविधि या व्यवहार।

(c) उप–धारा (a) की प्रकृति में कोई गतिविधि या लेन–देन, चाहे या तो वहाँ लेने–देन की मात्रा, आवृत्ति, निरन्तरता या नियमितता है या नहीं।

(d) पूँजीगत वस्तुओं और सेवाओं सहित माल की व्यापार के शुरुआत या व्यापार समापन के सम्बन्ध में आपूर्ति या अधिग्रहण।

(c) क्लब, संघ, समाज, या किसी भी तरह की संस्था (किसी शुल्क या किसी अन्य प्रतिफल के लिए) सुविधाओं या लाभ का उसके सदस्यों को प्रावधान।

(f) किसी भी परिसर में व्यक्तियों का प्रतिफल के बदले प्रवेश।

(g) किसी व्यक्ति द्वारा एक कार्यालय के धारक के रूप में आपूर्ति की गई सेवाओं जिससे उसने अपने व्यापार, पेशे या व्यवसाय को आगे बढ़ाने के क्रम में स्वीकार किया गया है, या

(h) रेस क्लब द्वारा प्रदान की गई सेवाओं जो कि ऐसे क्लब में (totalisator) बनाने या बुक मेकर के लिए लाइसेंस देकर प्रदान की जाती हैं, तथा

(i) केन्द्र सरकार, एक राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी भी गतिविधि या लेने–देन जिसमें वे सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में कार्यरत हैं।

[धारा 2(17) of CGST ACT]

© The Institute of Chartered Accountants of India

➢ **प्रतिफल** (Consideration) : माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सम्बन्ध "प्रतिफल" में शामिल हैं–

- माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सन्दर्भ में, प्राप्तकर्ता द्वारा चाहे कि अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी भुगतान या किया जाने वाला भुगतान, चाहे पैसे में हो या अन्य रूप में, लेकिन इसमें केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी भी सब्सिडी को शामिल नहीं किया जायेगा।
- माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सन्दर्भ में, प्राप्तकर्ता द्वारा या चाहे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये किसी कार्य या नहीं किये गये किसी कार्य का मौद्रिक मूल्य, लेकिन इसमें केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई किसी भी सब्सिडी को शामिल नहीं किया जायेगा।

बशर्ते माल या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों के सम्बन्ध में दिये गये जमा (deposit) को ऐसी आपूर्ति के लिए भुगतान के रूप में नहीं माना जायेगा, जब तक कि आपूर्तिकर्ता इस जमा राशि को आपूर्ति के भुगतान के रूप में लागू नहीं करता है। [धारा 2(31) of CGST Act]

➢ **व्यक्ति** (Person) : में शामिल है [धारा 2(84) of CGST Act] :

© The Institute of Chartered Accountants of India

- **प्राप्तकर्ता** (Recipient) : वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति "प्राप्तकर्ता" का अर्थ है–

  (a) जहाँ सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए एक प्रतिफल देय है, व्यक्ति जो उस प्रतिफल का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है।

  (b) जहाँ भारत की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है तो जिस व्यक्ति सामान वितरित या उपलब्ध कराया जाता है, या जिसके पास माल को सौंपा जाता या जिसे उसके उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

  (c) जहाँ कोई सेवा की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है, जिस व्यक्ति को सेवा प्रदान की जाती है, और जहाँ जिस किसी व्यक्ति को सेवा प्रदान की गई है,

  आपूर्ति करने के लिए किसी व्यक्ति का सन्दर्भ आपूर्ति के प्राप्तकर्ता के सन्दर्भ के रूप में लगाया जाएगा और उसमें एक एजेंट को भी शामिल किया जाएगा जो कि उस व्यक्ति की और सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सम्बन्ध में प्राप्तकर्ता की तरफ से कार्य करता होगा। [धारा 2(93) CGST Act]

- **प्रतिलोमी प्रभार** (Reverse charge) : का आशय माल/सेवाओं की ऐसी आपूर्ति से है जिस पर कर देयता का दायित्व, माल/सेवाओं के पूर्तिकर्ता के स्थान पर उसके प्राप्तकर्ता पर धारा 9(3)/ 9(4) अथवा IGST Act की धारा 5(3)/5(4) के अधीन होता है। [धारा 2(98) CGST Act]

- **सेवाएँ** (Services) : का आशय माल, मुद्रा और प्रतिभूतियों को छोड़कर सभी से है, परन्तु इसमें शामिल हैं मुद्रा के प्रयोग से सम्बन्धित गतिविधियाँ, जिसमें मुद्रा का उपयोग एवं नकदी द्वारा या किसी भी अन्य माध्यम से, किसी एक रूप से अन्य में रूपान्तरण सम्बन्धी गतिविधियाँ, जिसके लिये पृथक, प्रतिफल प्रभार्य है। [धारा 2(102) CGST Act]

  **स्पष्टीकरण—संदेह को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि अभिव्यक्ति "सेवाओं" में प्रतिभूतियों में लेन–देन की सुविधा या व्यवस्था शामिल है।**

- **पूर्तिकर्ता** (Supplier) : किसी भी वस्तु या सेवाओं या दोनों के सम्बन्ध में, इसका आशय उक्त वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति से है और इसमें वस्तु या सेवाओं या दोनों के सम्बन्ध में ऐसे पूर्तिकर्ता की ओर से आपूर्ति करने वाला एक एजेंट भी शामिल होगा। [CGST अधिनियम की धारा 2(105)]

- **कर योग्य पूर्ति** (Taxable supply) : का आशय माल/सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति से है जिस पर CGST Act के अधीन कर प्रभार्य है। [CGST अधिनियम की धारा 2(108)]

- **गैर कर योग्य पूर्ति** (Non-taxable supply) : का आशय माल/सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति से है, जिस पर CGST Act अथवा IGST Act के अधीन कर प्रभार्य नहीं है। [धारा 2 (78) CGST Act]

- **कर योग्य व्यक्ति** (Taxable person) : का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन पंजीकृत है अथवा पंजीयन के लिये दायी है। [धारा 2(107) CGST Act]

  यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि, ऐसा अपंजीकृत व्यक्ति जो पंजीयन के लिए दायी है, कर योग्य व्यक्ति है। इसी प्रकार ऐसा व्यक्ति जो पंजीयन के लिये दायी नहीं है, ऐच्छिक पंजीकरण ले रखा है वह भी कर योग्य व्यक्ति है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

CGST Act की धारा 22 ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख करती है जो पंजीयन के लिये दायी है और या 24 ऐसे व्यक्तियों को सूचीबद्ध करती है, जिनका उपर्युक्त विधान के अधीन पंजीयन अनिवार्य है। उपर्युक्त धाराएँ और कर योग्य व्यक्ति की अवधारणा, अध्याय–7 पंजीयन में विस्तृत रूप से विवेचित है।

**3. जीएसटी कानून का उद्भव एवं विस्तार** (Extent and Commencement of GST Law)

**(i) केन्द्रीय माल एवं सेवाएँ कर, 2017** (Central Goods and Services Tax Act, 2017) – सम्पूर्ण भारत में विस्तारित है यह ध्यान देना आवश्यक है कि CGST Act जम्मू एवं कश्मीर राज्य में भी लागू है। [CGST अधिनियम की धारा 1]

➢ **भारत** (India) : "भारत" का आशय है :

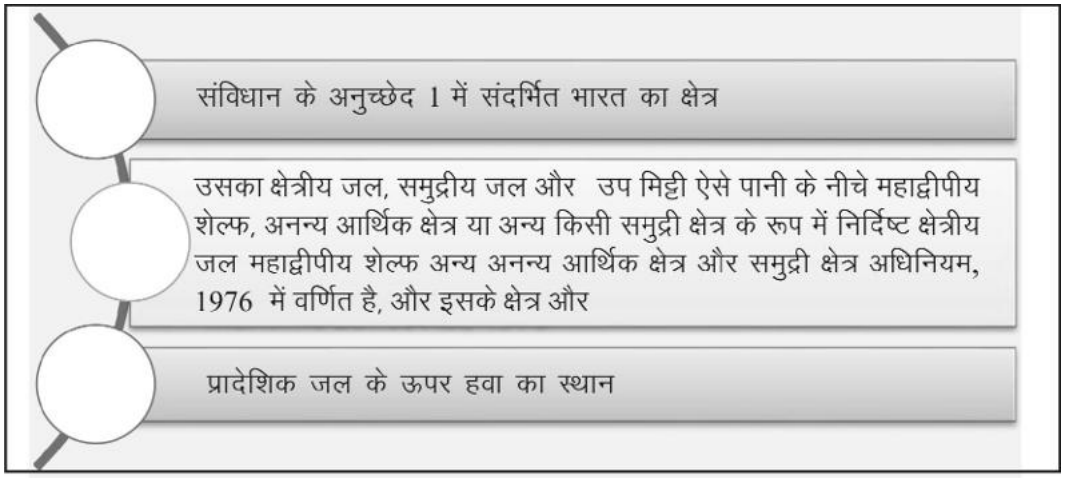


[धारा 2(56) CGST Act]

© The Institute of Chartered Accountants of India

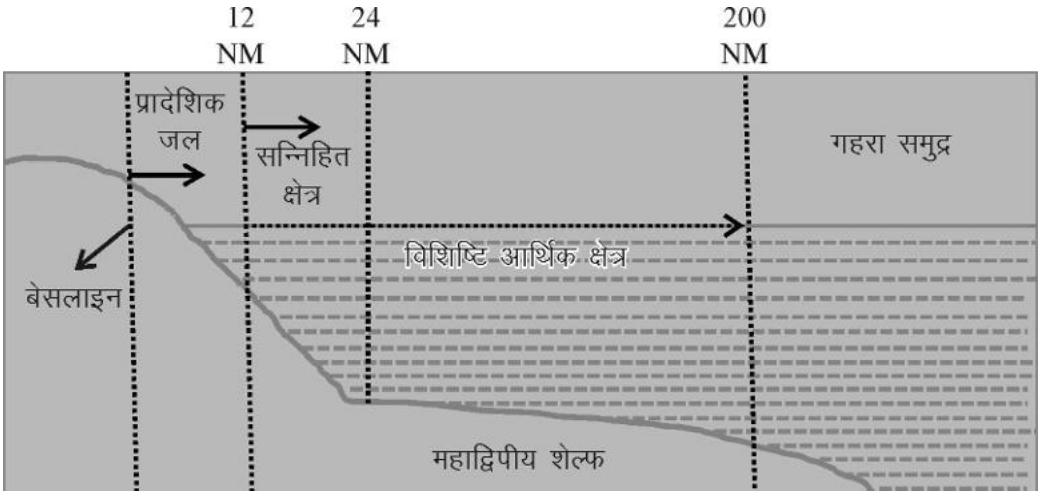


**(ii) सम्बन्धित राज्य के GST विधान** (State GST law) : विधानमण्डल सहित संघीय क्षेत्र [दिल्ली एवं पुडुचेरी] सम्पूर्ण राज्य/संघीय क्षेत्र में विस्तारित है।

उदाहरण महाराष्ट्र GST अधिनियम 2017 सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य में विस्तारित है।

****राज्य** (State) : में शामिल हैं विधानमण्डल सहित संघीय प्रदेश [धारा 2(103) CGST]

**(iii) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017** (Integrated Goods and Services Tax Act, 2017) : जम्मू और कश्मीर सहित पूरे भारत में फैला हुआ है। [IGST अधिनियम की धारा 1]

**(iv) संघ क्षेत्रीय** माल एवं सेवाएं कर अधिनियम, 2017** (Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017) : अण्डमान और निकोबार महाद्वीप, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, चण्डीगढ़ और अन्य क्षेत्र अर्थात् बिना राज्य विधानमण्डल के संघीय क्षेत्र [धारा 1 UTGST Act]

****संघीय क्षेत्र** (Union territory) : का आशय निम्नांकित क्षेत्र है—

(a) अण्डमान और निकोबार महाद्वीप
(b) लक्षद्वीप
(c) दादरा और नागर हवेली
(d) दमन एवं दीव
(e) चण्डीगढ़ और
(f) अन्य क्षेत्र

**स्पष्टीकरण**—इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए उपर्युक्त उप वाक्य (a) से (f) तक वर्णित पृथक् संघीय प्रदेश समझे जायेंगे। [धारा 2(114) CGST Act]

इस अध्ययन सामग्री में हमारा विवेचन मुख्यतः CGST Act और IGST Act के प्रावधानों तक सीमित है, क्योंकि राज्य विशेष के GST विधान हमारे पाठ्यक्रम के क्षेत्र से बाहर है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

**4. CGST तथा IGST का उद्ग्रहण एवं संग्रहण [धारा 9 CGST Act तथा धारा 5 IGST ACT]** [Levy & Collection of CGST and IGST (Section 9 of the CGST Act and Section 5 of the IGST Act)]

| वैधानिक प्रावधान | |
|---|---|
| **धारा 9** | **उद्ग्रहण एवं संग्रहण** |
| **उप–धारा** | **विवरण** |
| (1) | उप–धारा (2) के प्रावधानों के अधीन माल/सेवाओं की सभी राज्य के अन्दर पूर्तियों पर CGST नामक उद्गृहीत एवं संगृहीत किया जायेगा (सिवाय मानवीय उपभोग के लिये मादक शराब) जो धारा 15 के अधीन निर्धारित मूल्य पर अधिकतम 20% की दर से अथवा जी.एस.टी. परिषद् की अनुशंसा पर सरकार द्वारा अधिसूचना दर से, निर्धारित रीति से करदाता द्वारा चुकता किया जायेगा और सरकार द्वारा संगृहीत किया जायेगा। |
| (2) | कच्चा पेट्रोलियम, हाईस्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), प्राकृतिक गैस और हवाई ईंधन पर CGST का उद्ग्रहण ऐसी तिथि से किया जायेगा, जिसको जी.एस.टी परिषद् की अनुशंसा पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। |
| (3) | परिषद की अनुशंसा पर सरकार अधिसूचना द्वारा माल/सेवाओं की पूर्ति की ऐसी श्रेणियाँ निर्दिष्ट कर सकती हैं, जिन पर कर का भुगतान ऐसे माल/सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा 'प्रतिलोमी प्रभार' के अधीन किया जायेगा और इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि मानो ऐसी माल/सेवाओं की पूर्ति पर वह भुगतान के लिये दायी व्यक्ति है। |
| (4) | सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना के अनुसार, पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को निर्दिष्ट कर सकती है, जो माल या सेवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों की आपूर्ति के संबंध में या एक अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त दोनों, रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करते हैं। माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी आपूर्ति के प्राप्तकर्ता और इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर लागू होंगे जैसे कि वह माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। |
| (5) | परिषद की अनुशंसा पर, सरकार अधिसूचना द्वारा सेवाओं की ऐसी श्रेणियाँ निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिनकी राज्य के अन्दर पूर्ति के सम्बन्ध में कर का भुगतान ई–कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा किया जायेगा, यदि ऐसी सेवाओं की पूर्ति उसके द्वारा की गयी है, और इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे ई–कॉमर्स ऑपरेटर पर उसी प्रकार लागू होंगे, मानो ऐसी सेवाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में वह कर भुगतान के लिये दायी पूर्तिकर्ता है। यदि ऐसा ई–कॉमर्स ऑपरेटर की कर योग्य क्षेत्र में की कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है, ऐसे कर योग्य क्षेत्र में ई–कॉमर्स आपरेटर किसी भी उद्देश्य के लिये प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति कर भुगतान के लिये दायी होगा। आगे उल्लिखित है, यदि ई–कॉमर्स ऑपरेटर की कर योग्य क्षेत्र में कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है और उपर्युक्त क्षेत्र में कोई प्रतिनिधि भी नहीं है ऐसा ई–कॉमर्स ऑपरेटर, कर योग्य क्षेत्र में, कर भुगतान के लिये किसी व्यक्ति की नियुक्ति करेगा, और ऐसा व्यक्ति कर भुगतान के लिये दायी होगा। |

© The Institute of Chartered Accountants of India

**विश्लेषण** (Analysis)

- केन्द्रीय माल एवं सेवाएं कर (CGST) नामक कर सभी माल/सेवाओं की राज्य के अन्दर पूर्ति पर उद्‌गृहीत किया जायेगा।
- कर का संग्रहण निर्धारित विधि से किया जायेगा और कर योग्य व्यक्ति द्वारा चुकता किया जायेगा। तथापि, मानवीय उपभोग के लिये मादक शराब की राज्यों के अन्दर पूर्ति CGST के क्षेत्र से बाहर है।

  **उद्‌ग्रहण के लिये मूल्य**–CGST Act की धारा 15 के अधीन संव्यवहार मूल्य–अध्याय 5 के शीर्षक–आपूर्ति का समय और मूल्य में विस्तार से विवेचित है।

  **जी. एस. टी. की दरें** : GST की दरें परिषद् की अनुशंसा पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जायेगी। (अधिसूचित दरें हैं–0% 0.125%, 1.5%, 2.5%, 6%, 9%, और 14%) अधिकतम दर 20% होगी।

  • माल और/या सेवाओं की अन्तर्राज्यीय आपूर्ति पर, एकीकृत वस्तु और सेवा कर (IGST), CGST अधिनियम[1] की धारा 15 के तहत लेनदेन मूल्य पर लगाया जाता है। जबकि मानव उपयोग के लिये मादक शराब GST कानून के दायरे से बाहर है, IGST भी उस पर लागू नहीं है। IGST लगभग CGST और SGST/UTGST का कुल योग है। IGST की अधिकतम दर 40% होगी।

- तथापि, निम्नांकित मदों पर CGST/IGST तुरंत लागू नहीं है। परिषद् की अनुशंसा पर सरकार द्वारा किसी भावी तिथि से उद्‌ग्रहणीय दरों को अधिसूचित किया जायेगा :
  - ÷ कच्चा पेट्रोलियम
  - ÷ हाईस्पीड डीजल
  - ÷ मोटर स्पिरिट (पेट्रोल)
  - ÷ प्राकृतिक गैस और
  - ÷ हवाई ईंधन
- **माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर रिवर्स चार्ज** (Reverse charge) **के तहत देय कर** (Tax Payable on Supply of goods or Services or both under reverse charge)
  - ❒ निम्नलिखित मामलों में/वस्तु या सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा CGST/IGST का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जायेगा :
    - ✓ GST परिषद के अनुरोध पर, सरकार द्वारा अधिसूचित वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति।

---

[1] भारत में आयात किया गया माल : भारत में आयात होने वाले माल के लिये, IGST लागू होगा और सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 3 के अनुसार एकत्र किया जायेगा अर्थात् अतिरिक्त शुल्क, सीमा शुल्क अधिनियम 1975, के अनुसार होगा, तथा मूल्य भी उक्त अधिनियम के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। इस पहलू पर फाईनल स्तर पर विस्तार से चर्चा की जायेगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

- ✓ एक पंजीकृत व्यक्ति को अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति।

❒ उपर्युक्त मामलों में CGST/IGST अधिनियम के सभी प्रावधान प्राप्तकर्ता पर लागू होंगे जैसे कि वह ऐसे वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सम्बन्ध में कर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं। हम पहले प्रतिलोभी प्रभार की अवधारणा को समझें :

## प्रतिलोभी प्रभार
(Reverse Charge Mechanism)

❒ आम तौर पर, वस्तुओं और सेवाओं का आपूर्तिकर्ता GST का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है। हालांकि प्रतिलोभी प्रभार के तहत, GST का भुगतान करने का दायित्व वस्तुओं और सेवाओं के प्राप्तकर्ता पर डाला जा सकता है।

❒ प्रतिलोभी प्रभार का मतलब आपूर्ति की अधिसूचित श्रेणियों के सम्बन्ध में ऐसी वस्तु या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के बजाय वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता पर कर भुगतान करने का दायित्व है।

❒ यदि GST के तहत पंजीकरण प्राप्त करना, कर जमा करना, सरकार के रिटर्न दाखिल करना, आदि

❒ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि GST अप्रत्यक्ष कर होने के नाते, कर के भार को अंततः प्राप्तकर्ता को पारित करना होगा। सीमा शुल्क के तहत भी GST का भुगतान करने का भार प्राप्तकर्ता पर है लेकिन अनुपालन आवश्यकता को आपूर्तिकर्ता को प्राप्तकर्ता में स्थानांतरित कर दिया गया है।

❒ कानून में प्रदत्त दो प्रकार के सीमा शुल्क परिदृश्य (Scenarios) हैं।

(i) पहले आपूर्ति की प्रकृति और/या आपूर्तिकर्ता की प्रकृति पर निर्भर है। यह परिदृश्य CGST/SGST (UTGST) अधिनियम की धारा 9(3) द्वारा कवर किया गया है [जैसा कि पिछले पैरा में चर्चा की गयी है] इस तरह के प्रावधान GST कानून के तहत निहित है।

(ii) दूसरा परिदृश्य (Scenario) CGST अधिनियम की धारा 9(4) द्वारा कवर किया गया है [जैसा कि पिछले पैरा में चर्चा की गयी है] जहां किसी अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा किसी पंजीकृत व्यक्ति को कर योग्य आपूर्ति कवर की जाती है। इस तरह के प्रावधान GST कानून के तहत निहित हैं।

इन्हीं प्रावधानों को IGST अधिनियम की प्रभारी धारा 5(3)/5(4) के तहत शामिल किया गया है।

❒ **प्रतिलोभी प्रभार के तहत अधिसूचित वस्तुएं और सेवाएं** धारा 9(3) CGST Act तथा धारा 5(3) IGST Act के तहत इस प्रकार हैं :

**A. प्रतिलोभी प्रभार के तहत कर योग्य, वस्तुओं की आपूर्ति, अर्थात् वस्तु जहाँ प्राप्तकर्ता द्वारा कर देय है** : (Supplies of goods taxable under reverse charge, *i.e.* the goods where tax is payable by the recipient) :

© The Institute of Chartered Accountants of India

माल जैसे काजू (खोल और छिलका नहीं), बीड़ी का आवरण, तम्बाकू के पत्ते, लॉटरी की आपूर्ति, रेशम सूत्र, प्रयुक्त वाहन, जब्त माल, पुरानी और प्रयुक्त वस्तुएँ, अपशिष्ट और रद्दी चीजें, कपास आदि प्रतिलोभी प्रभार[2] के तहत करयोग्य है अर्थात् प्राप्तकर्ता कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है।

**B. प्रतिलोमी प्रभार के तहत धारा 9(3) CGST Act के अनुसार कर योग्य सेवाओं की सूची, अर्थात ऐसी सेवाएं जिन पर कर भुगतान प्राप्तकर्ता को करना होगा** (Supply of services taxable under revers charge, under section 9(3) of the CGST Act *i.e*. the services where tax is payable bny the recipient) : अधिसूचना सं. 13/2017 CT (R) दि. 28-06-2017 द्वारा निम्नांकितः सेवाओं की श्रेणियाँ अधिसूचित की गयी हैं जिन पर सम्पूर्ण CGST का भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा प्रतिलोमी प्रभार के अधीन किया जायेगा :

| क्र. सं. | पूरित सेवाओं की श्रेणी | सेवा पूर्तिकर्ता | सेवा प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|---|
| 1. | माल परिवहन एजेंसी (GTA) द्वारा ऐसी सेवाओं की पूर्ति, जिनका सम्बन्ध निम्नांकित को माल के परिवहन से है :<br>(a) कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन पंजीकृत अथवा प्रशासित किसी कारखाने का; अथवा<br>(b) समितियाँ पंजीयन अधिनियम, 1860 अथवा भारत में तत्समय प्रभावी पंजीकृत कोई समिति किसी अन्य विधान के अधीन; अथवा<br>(c) किसी विधान के अधीन/द्वारा स्थापित कोई सहकारी समिति; अथवा | माल परिवहन एजेंसी (GTA) [जिन्होंने **CGST @6% का** भुगतान नहीं किया है]<br>[कृपया बाद में दिए गए विश्लेषण का संदर्भ लें] | (a) कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन पंजीकृत अथवा प्रशासित कोई कारखाना; अथवा<br>(b) समितियाँ पंजीयन अधिनियम, 1860 अथवा भारत के किसी भाग में तत्समय प्रभावी किसी विधान के अधीन पंजीकृत कोई समिति; अथवा<br>(c) किसी विधान के अधीन/द्वारा स्थापित कोऑपरेटिव सोसाइटी; अथवा<br>(d) CGST Act या IGST Act या UTGST Act के अधीन पंजीकृत कोई व्यक्ति; अथवा |

[2] माल के उदाहरण जिन पर रिवर्स चार्ज के तहत प्राप्तकर्ता द्वारा कर देय है, केवल छात्रों के ज्ञान के लिए यहां दिए गए हैं। ये परीक्षा के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (d) CGST Act या IGST Act या SGST Act UTGST Act के अधीन पंजीकृत कोई व्यक्ति; अथवा | | (e) किसी विधान के अधीन/द्वारा स्थापित कोई निगम; अथवा |
| | (e) किसी विधान के अधीन/द्वारा स्थापित कोई निगम;<br>(f) कोई साझेदारी फर्म चाहे किसी विधान के अधीन पंजीकृत हो या अथवा नहीं, इसमें शामिल हैं व्यक्तियों की एसोशिएसन; अथवा<br>(g) कोई आकस्मिक करदाता | | (f) कोई साझेदारी फर्म किसी विधान के अधीन चाहे पंजीकृत हो अथवा नहीं, इसमें शामिल है व्यक्तियों की एसोसिएशन; अथवा<br>(g) कोई आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति, जो कर योग्य क्षेत्र में स्थित हो।<br>[निर्दिष्ट प्राप्तकर्ता के रूप में संदर्भत] |
| | हालांकि रिवर्स चार्ज प्रक्रिया (RCM) GTA द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगा, सड़क के लिए मालगाड़ी में माल के परिवहन के माध्यम से—<br>(a) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र का एक विभाग/स्थापना; या<br>(b) स्थानीय प्राधिकरण; या<br>(c) सरकारी एजेंसियां।<br>जिसने केवल धारा 51[3] के तहत कर में कटौती के कटौती के उद्देश्य से CGST अधिनियम के तहत पंजीकरण लिया है और माल या सेवाओं[4] की कर योग्य आपूर्ति करने के लिए नहीं। | | |
| 2. | सीनियर एडवोकेट सहित किसी व्यक्ति एडवोकेट द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न्यायालय, ट्रिब्यूनल | सीनियर एडवोकेट सहित कोई व्यक्ति एडवोकेट अथवा | कर योग्य क्षेत्र में स्थित कोई व्यावसायिक निकाय |

[3] धारा 51 में निहित स्रोत पर कर से संबंधित प्रावधान पर फाइनल लेवल पर चर्चा की जाएगी।

[4] इन सेवाओं को एक साथ कर के भुगतान से छूट दी गई है। इस प्रकार, इस मामले में कोई करदेयता नहीं होगी। [अध्याय 4 में उल्लेख : इस छूट पर चर्चा के लिए GST से छूट]।

© The Institute of Chartered Accountants of India

| | | | |
|---|---|---|---|
| | या प्राधिकरण को प्रतिनिधिरूपक सेवाओं की पूर्ति,<br>**कर योग्य क्षेत्र स्थित किसी व्यावसायिक निकाय को** यदि ऐसी सेवाओं के प्रावधान का अनुबन्ध, किसी अन्य एडवोकेट अथवा एडवोकेट्स की फर्म, द्वारा किया गया है, जो निकाय को विधायी सेवाओं के सम्बन्ध में है। कर योग्य क्षेत्र स्थित किसी व्यावसायिक निकाय को यदि ऐसी सेवाओं के प्रावधान का अनुबन्ध, किसी अन्य एडवोकेट अथवा एडवोकेट्स की फर्म द्वारा किया गया है, जो किसी व्यावसायिक निकाय को विधायी सेवाओं के सम्बन्ध में है। | एडवोकेट्स की फर्म | |
| 3. | **किसी पंचायती ट्रिब्यूनल द्वारा व्यावसायिक निकाय को सेवाओं की पूर्ति** | कोई पंचायती ट्रिब्यूनल | कर योग्य क्षेत्र स्थित कोई व्यावसायिक निकाय |
| 4. | किसी साझेदारी फर्म अथवा निगमित निकाय को स्पोन्सरशिप रूपी सेवाओं की पूर्ति | कोई व्यक्ति | कर योग्य क्षेत्र स्थित कोई निगमित निकाय या साझेदारी फर्म |
| 5. | **व्यावसायिक निकाय को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ, क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सेवाओं की पूर्ति**— निम्नांकित को छोड़कर :<br>(1) अचल सम्पत्ति को किराये पर देना, और | केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण | कर योग्य क्षेत्र स्थित कोई व्यावसायिक निकाय |

© The Institute of Chartered Accountants of India

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (2) नीचे निर्दिष्ट सेवाएं—<br>(i) डाक विभाग द्वारा, किसी व्यक्ति को पूरित स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा जिसमें शामिल नहीं हैं— केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघीय क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण को प्रदत्त सेवाएं<br>(ii) किसी बन्दरगाह या विमान पत्तन की सीमाओं के अन्दर या बाहर किसी विमान अथवा जलयान के सम्बन्ध में प्रदत्त सेवाएं;<br>(iii) माल या यात्री परिवहन। | | |
| **5A.** | CGST अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत व्यक्ति को अचल सम्पत्ति के किराये के माध्यम से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सेवाओं की आपूर्ति | केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्रशासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण | CGST अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई व्यक्ति |
| **5B.** | किसी प्रमोटर द्वारा परियोजना के निर्माण के लिए विकास अधिकार (TDR) या फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) (अतिरिक्त FSI सहित) के हस्तान्तरण | कोई भी व्यक्ति | प्रमोटर |

© The Institute of Chartered Accountants of India

| | | | |
|---|---|---|---|
| | के माध्यम से किसी भी व्यक्ति द्वारा आपूर्ति की गई सेवाएं। | | |
| **5C.** | किसी भी व्यक्ति द्वारा अग्रिम राशि के रूप में (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, मूल्य, विकास शुल्क या किसी अन्य नाम से कहा जाता है) और/या आवधिक किराए के एक प्रमोटर[5] द्वारा निर्माण के लिए भूमि का दीर्घकालिक पट्टा (30 वर्ष या उससे अधिक)। | कोई भी व्यक्ति | प्रमोटर |
| **6.** | किसी कम्पनी/निगमित निकाय के संचालक द्वारा उपर्युक्त कम्पनी/निगमित निकाय को सेवाओं की पूर्ति; | किसी कम्पनी/निगमित निकाय का संचालक | कर योग्य क्षेत्र स्थिति कोई कम्पनी/निगमित निकाय |
| **7.** | बीमा व्यवसायकर्ता किसी व्यक्ति को बीमा एजेन्ट द्वारा सेवाओं की पूर्ति | बीमा एजेन्ट | कर योग्य क्षेत्र स्थित, बीमा व्यवसाय करने वाला कोई व्यक्ति |
| **8.** | किसी बैंकिंग कम्पनी अथवा वित्तीय संस्थान अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान की वसूली एजेन्ट रूपी सेवाओं की पूर्ति | वसूली ऐजेन्ट | कर योग्य क्षेत्र स्थित बैंकिंग कम्पनी अथवा वित्तीय संस्थान अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान |
| **9.** | लेखक, संगीत कम्पोजर, फोटोग्राफर, कलाकार अथवा इसी प्रकार के अन्य | लेखक अथवा म्यूजिक कम्पोजर, | कर योग्य क्षेत्र स्थित प्रकाशक, म्यूजिक कम्पनी, निर्माता अथवा समकक्ष |

[5] एक डेवलपर के लिए एक जमींदार द्वारा जमीन की लम्बी अवधि के पट्टे (प्रीमियम) की TDR, FSI की आपूर्ति इस शर्त के अधीन है कि निर्माण किए गए फ्लैटों की पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी करने से पहले बेचा जाता है और उन पर कर का भुगतान किया जाता है।

TDR, FSI लम्बी अवधि के पट्टे (प्रीमियम) की छूट पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के बाद बेचे जाने के मामले में वापस ले ली जाती है, लेकिन ऐसी निकासी किफायती घरों के मामलों में मूल्य के 1% और किफायती घरों से अन्य मामलों में 50% मूल्य तक सीमित होगी। ऐसे मामलों में TDR, FSI, लम्बी अवधि के पट्टे (प्रीमियम) पर कर का भुगतान करने की देयता भूमि मालिक से बिल्डर को रिवर्स चार्ज प्रक्रिया (RCM) के तहत स्थानान्तरित कर दी गई है—जैसा कि तालिका में सचित्र है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

| | | | |
|---|---|---|---|
| | द्वारा निम्नांकित रूप में सेवाओं की पूर्ति— प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 13 (1) (a) के अधीन संरक्षित, साहित्यिक, नाटकीय, संगीत अथवा कला रूपी मौलिक कृति के अन्तरण अथवा उपयोग स्वीकृति अथवा उसका उपयोग सम्बन्धी अधिकारों का प्रकाशक, संगीत कम्पनी, निर्माता अथवा इसी प्रकार के अन्य को प्रदत्त सेवाएं। | फोटोग्राफर कलाकार अथवा समकक्ष | |
| **10.** | निरीक्षक कमेटी के सदस्यों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को सेवाओं की आपूर्ति | भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित निरीक्षक कमेटी के सदस्य | भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) |
| **11.** | बैंक या गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (NBFCs) के लिये, सामाजिक निकाय, साझेदारी या सीमित देयता साझेदारी फर्म (LLP) के अलावा व्यक्तिगत प्रत्यक्ष विक्रय एजेन्ट (DSAs) द्वारा सेवा की आपूर्ति | सामाजिक निकाय साझेदारी या LLP फर्म के अलावा व्यक्तिगत प्रत्यक्ष विक्रय एजेंट (DSAs) | कर योग्य क्षेत्र में स्थित एक बैंकिंग कम्पनी या एक NBFC |
| **12.** | एक बैंकिंग कम्पनी के लिए व्यापार, प्रशिक्षक द्वारा प्रदान की गई सेवाएं | व्यापार प्रशिक्षक | एक बैंकिंग कम्पनी, जो कर योग्य क्षेत्र में स्थित है। |
| **13.** | व्यापार संवाददाता के एक अभिकर्ता द्वारा व्यापार संवाददाता को प्रदान की गई सेवाएं | व्यापार संवाददाता का एक अभिकर्ता | एक व्यापार संवाददाता, जो कर योग्य क्षेत्र में स्थित है। |
| **14.** | सुरक्षा सेवाएं (सुरक्षा कर्मियों की आपूर्ति के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएं) किसी पंजीकृत व्यक्ति को प्रदान की जाती हैं। | निगमित निकाय के अलावा कोई भी व्यक्ति | एक पंजीकृत व्यक्ति, जो कर योग्य क्षेत्र में स्थित है। |

© The Institute of Chartered Accountants of India

| | | | |
|---|---|---|---|
| | हालांकि, इस प्रविष्टि में शामिल कुछ भी लागू नहीं होगा—<br>(i) (a) एक विभाग या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश की स्थापना; या<br>(b) स्थानीय प्राधिकरण; या<br>(c) सरकारी संस्थाएं;<br>जिसने CGST अधिनियम, 2017 के तहत उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत केवल कर में कटौती के उद्देश्य से पंजीकरण लिया है, न कि वस्तुओं या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति करने के लिए; या<br>(ii) कंपोजिशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने वाला एक पंजीकृत व्यक्ति। | | |

❖ उपर्युक्त सभी सेवाओं को IGST अधिनियम के तहत प्रतिलोभी प्रभार के लिये अधिसूचित किया गया है। इनके अलावा, IGST उद्देश्यों से सम्बन्धित दो अतिरिक्त सेवाएं भी शामिल हैं। जो फाइनल स्तर पर निपटाया जायेगा।

**इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिये** :

(a) **वाहन में सड़क मार्ग द्वारा माल परिवहन के भाड़े के भुगतान के दायी कर योग्य क्षेत्र स्थित व्यक्ति, को इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए सेवा का प्राप्तकर्ता समझा जायेगा।**

(b) **निगमित निकाय** (Body Corporate) : का आशय वही है जो, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के वाक्य (11) में दिया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (11) के अनुसार निगमित निकाय अथवा निगम में शामिल है भारत के बाहर निगमित कम्पनी परन्तु निम्नांकित शामिल नहीं हैं :

(i) सहकारी समितियों से सम्बन्धित किसी विधान के अधीन पंजीकृत सहकारी समिति; और

(ii) कोई अन्य निगमित निकाय (इस अधिनियम में परिभाषित कम्पनी को छोड़कर) जिसके सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करें।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(c) कर योग्य क्षेत्र स्थित कोई विवादी व्यावसायिक निकाय, आवेदक अथवा पिटीषनर, जैसी भी स्थिति हो, इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिये विधायी सेवाओं का प्राप्तकर्ता व्यक्ति समझा जायेगा।

(d) प्रयुक्त शब्द या अभिव्यक्तियाँ और जिन्हें इस अधिसूचना में परिभाषित नहीं किया गया है; परन्तु CGST अधिनियम में परिभाषित किया गया है, इसका वहीं आशय होगा जो उन अधिनियमों में दिया गया है।

***(e)*** *सीमित देयता साझेदारी का गठन और पंजीकृत, सीमित देयता साझेदारी अधिनियम **2008**, के प्रावधानों के तहत किया जायेगा, जिसे एक साझेदारी फर्म या एक फर्म के रूप में भी माना जायेगा।*

***(f)*** *बीमा एजेंट का अर्थ बीमा अधिनियम, **1938** की धारा **42** के तहत लाइसेंस प्राप्त बीमा एजेंट है जो अपनी प्रार्थना या बीमा व्यवसाय की खरीद के लिये कमीशन या अन्य पारिश्रमिक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने को सहमत हो जाता है, जिसमें बीमा की पॉलिसियों की निरन्तरता, नवीनीकरण या पुनरुद्धार से सम्बन्धित व्यवसाय शामिल है। **[बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2(10)]***

***(g)*** *अचल सम्पत्ति का किराये पर देने का आशय है, एक अचल सम्पत्ति में, पूर्णतः या आंशिक रूप से, अदिगम **(Access)**, प्रवेश, अधिग्रहण, उपयोग या अन्य किसी सुविधा को स्वीकार्य, अनुमति या इजाजत देना, उस अचल सम्पत्ति के नियन्त्रण या आधिपत्य के हस्तानान्तरण के साथ या उसके बिना तथा इसमें अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में भाड़ा, पट्टा, लाइसेंस या अन्य समान प्रबन्ध सम्मिलित हैं।*

***(h)*** *इस अधिसूचना के प्रावधान, जहां तक वे केंद्र सरकार, राज्य सरकार पर लागू होते हैं, संसद और राज्य विधानमण्डल के लिए भी लागू होंगे।*

### GTA सेवा पर GST का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति

(Person Liable to Pay GST on GTA Services)

GTA सेवाएं निम्नलिखित दो दरों पर कर योग्य हैं—

(i) @ 5% (2.5% CGST + 2.5% SGST/UTGST या 5% IGST) बशर्ते GTA ने GTA सेवा की आपूर्ति करने में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) नहीं लिया हो।

(ii) @ 12% (6% CGST + 6% SGST/UTGST या 12% IGST) जहां GTA द्वारा आपूर्ति की गई GTA की सभी सेवाओं पर उक्त दर से GST का भुगतान करने का निर्णय लिया हो। इस मामले में, GTA द्वारा GTA सेवा की आपूर्ति में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर ITC का लाभ उठाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

अग्रलिखित पैरा में, हमने बताया है कि उपर्युक्त दो दरों में से प्रत्येक के मामले में कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति कौन है—

© The Institute of Chartered Accountants of India

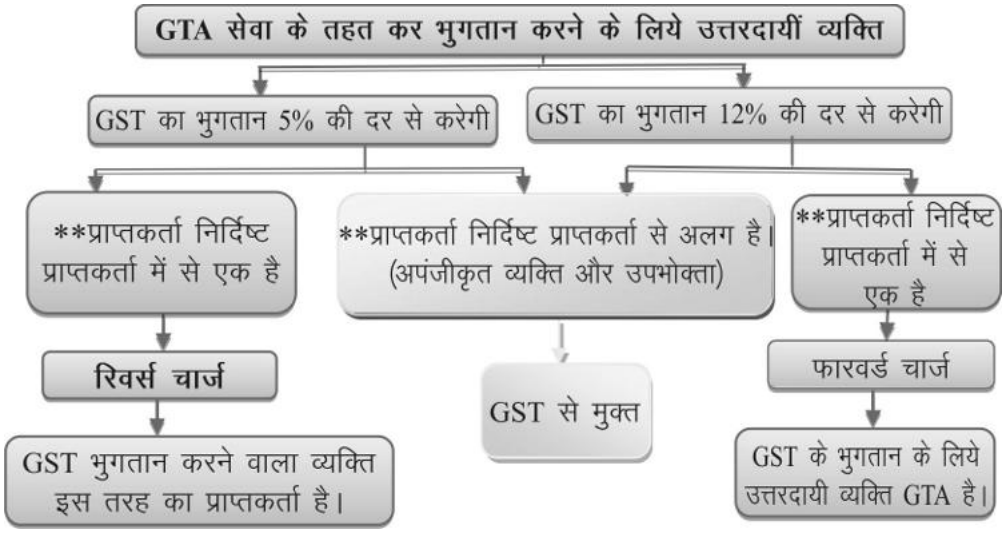


**GTA सेवा का प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति है जो कर योग्य क्षेत्र में स्थित माल गाड़ी में सड़क मार्ग से माल के परिवहन के लिए माल का भुगतान/भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

## अधिसूचित सेवा पर इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर द्वारा देयकर

(Tax Payable by the ECO on notified Services)

**इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर** (ECO)[6] उत्पादों के साथ–साथ उन सेवाओं को प्रदर्शित करते हैं जो उनके इलेक्ट्रॉनिक लेजर पर, वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता को आपूर्ति की जाती है। उपभोक्ता इन पोर्टल के माध्यम से ऐसे वस्तु/सेवाओं को खरीदते हैं। एक विशेष उत्पाद/सेवाओं के ऑर्डर (Order) देने पर, वास्तविक आपूर्तिकर्ता उपभोक्ता को चयनित उत्पाद/सेवाओं की पूर्ति करता है। उत्पाद/सेवा के लिये मूल्य/प्रतिफल उपभोक्ता से ECO द्वारा एकत्र किया जाता है और ECO द्वारा कमीशन काटने के बाद वास्तविक आपूर्तिकर्ता को दे दिया जाता है।

सरकार, GST परिषद् की सिफारिशों पर, विशिष्ट श्रेणियों की सेवाओं का कर [CGST/STST/IGST] को राज्य के भीतर आपूर्ति पर अधिसूचित कर सकती है। जिसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर (ECO) द्वारा किया जायेगा यदि ऐसी सेवाओं की आपूर्ति इसके द्वारा की जाती है। कुछ सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। उदाहरण के लिये, रेडियो–टैक्सी, मोटरकैब, मौक्सिकैब और मोटर साइकिल द्वारा यात्रियों के परिवहन के माध्यम से सेवा।

[6] इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर से सम्बन्धित विस्तृत प्रावधानों पर फाइनल स्तर पर चर्चा की जायेगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

## विभिन्न वस्तुओं के लिये निर्धारित GST दरें
(GST Rates Prescribed For Various Goods)

मौटे तौर पर, CGST की छः दरें माल के लिये अधिसूचित की गयी हैं जैसे 0.125%, 1.5%, 2.5%, 6%, 9% और 14%। समान दर पर SGST/UTGST भी देय है। IGST के सम्बन्ध में, मौटे तौर पर माल के लिये छह दरें अधिसूचित की गयी हैं, जैसे, 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18% तथा 28%[7] **कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए कर की शून्य दर अधिसूचित की गयी है।**

वस्तुओं या सेवाओं की किसी विशेष आपूर्ति पर लागू दर निर्धारित करने के लिए, किसी को पहले ऐसे सामानों या सेवाओं के वर्गीकरण का निर्धारण करना होगा। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए अलग–अलग दरें निर्धारित होने के बाद से वस्तुओं और सेवाओं का वर्गीकरण महत्व रखता है। इसलिए, किसी विशेष उत्पाद या सेवा पर लागू कर की दर निर्धारित करने के लिए वर्गीकरण महत्वपूर्ण है।

## GST के तहत माल का वर्गीकरण
(Classification of Goods Under GST)

माल के वर्गीकरण का अर्थ है टैरिफ आइटम, उप–शीर्षक, शीर्षक और अध्याय की पहचान जिसमें किसी विशेष उत्पाद को वर्गीकृत किया जाएगा :

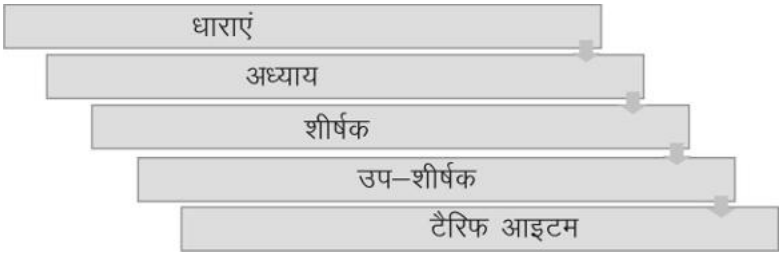


टैरिफ आइटम, उपशीर्षक, शीर्षक और अध्याय GST के तहत माल के लिए दर अधिसूचना के अनुसूचियों में निर्दिष्ट टैरिफ आइटम, उप–शीर्षक कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1975 के लिए पहली अनुसूची के शीर्षक और अध्याय हैं। भारतीय कस्टम टैरिफ HSN पर आधारित है। HSN का अर्थ है नाम पद्धति की अनुरूप प्रणाली। यह दुनियाभर में माल को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के उद्देश्य से विश्व कस्टम संगठन (WCO) द्वारा विकसित एक बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रीय उत्पाद नामकरण है। इसमें लगभग 5,000 कमोडिटी समूह शामिल हैं, 6 अंकों के कोड [कोड बढ़ाया जा सकता है], प्रत्येक को कानूनी और तार्किक संरचना में व्यवस्थित किया गया है और समान वर्गीकरण को प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित नियमों द्वारा समर्थित है। भारत ने HSN का 8-अंकीय कोड विकसित किया है।

---

[7] छात्रों को ज्ञान प्रयोजनों के लिए माल के लिए GST दरों की पूर्ण अनुसूची के लिए CBIC वेबसाइट का उल्लेख कर सकते हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

HSN की तर्ज पर, भारतीय कस्टम टैरिफ में पहली अनुसूची[8]व[9] और सामान्य व्याख्यात्मक नोट्स सहित व्याख्या के लिए ये नियम GST के तहत माल के लिए दर अधिसूचना की व्याख्या पर भी लागू होते हैं।

नतीजतन, GST के तहत माल को कस्टम टैरिफ की व्याख्या के लिए नियमों के अनुसार HSN के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

एक बार किसी उत्पाद का वर्गीकरण इस आधार पर निर्धारित किया गया है, GST के तहत जारी दर अधिसूचना में निर्धारित दर के अनुसार लागू दर निर्धारित की जानी है।

## GST के तहत सेवाओं का वर्गीकरण

(Classification of Services Under GST)

GST के तहत सेवाओं के वर्गीकरण की एक नई योजना तैयार की गई है। यह संयुक्त राष्ट्र के केंद्रीय उत्पाद वर्गीकरण का एक संशोधित संस्करण है। इस योजना के तहत, विभिन्न वर्गों, शीर्षकों और समूहों के तहत विभिन्न विवरणों की सेवाओं को वर्गीकृत किया गया है। अध्याय 99 की सेवाओं के लिए सौंपा गया है। इस अध्याय में निम्नलिखित भाग हैं—

**धारा 5** निर्माण सेवाएं

**धारा 6** वितरणशील व्यापार सेवाएं; आवास, भोजन और पेय सेवाएं; परिवहन सेवाएं, गैर और बिजली वितरण सेवाएं

**धारा 7** : वित्तीय और सम्बन्धित सेवाएं, अचल सम्पत्ति सेवाएं, और किराए और पट्टे पर सेवाएं

**धारा 8** : व्यापार और उत्पादन सेवाएं

**धारा 9 :** सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं और अन्य विविध सेवाएं

प्रत्येक धारा को विभिन्न शीर्षकों में विभाजित किया गया है जो आगे समूहों में विभाजित हैं। इसके आगे का विभाजन 'टैरिफ आइटम' सेवा कोड के रूप में किया गया है।

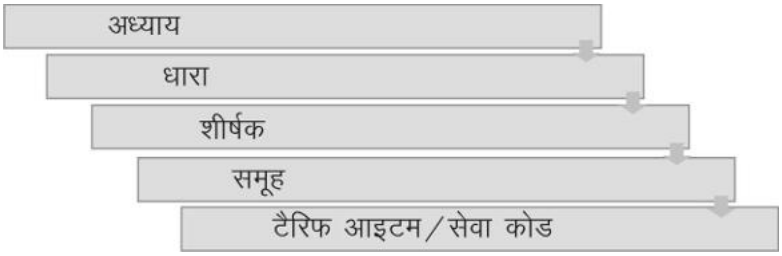


[8] कस्टम अधिनियम और कस्टम टैरिफ अधिनियम से सम्बन्धित प्रावधानों पर फाइनल लेवल पर चर्चा की जाएगी।

[9] **धाराएं**—वस्तुओं के एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले अध्यायों का एक समूह।

**अध्याय**—प्रत्येक धारा को विभिन्न अध्यायों और उप–अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अध्याय में एक वर्ग का माल शामिल है।

**अध्याय नोट**—प्रत्येक अध्याय की शुरुआत में उनका उल्लेख किया गया है। ये नोट हिस्सा है।

**शीर्षक**—प्रत्येक अध्याय और उप–अध्याय को आगे विभिन्न शीर्षकों में विभाजित किया गया है।

**उप–शीर्षक**—प्रत्येक शीर्षक को आगे विभिन्न उप–शीर्षक में विभाजित किया गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

कर की दर सेवा कोड के अनुसार निर्धारित की जाती है जिसमें सेवा वर्गीकृत होती है।

## विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित GST दरें

(GST Rates Prescribed for Various Services)

मोटे तौर पर, CGST की 4 दरों को सेवाओं के लिए अधिसूचित किया गया है, 2.5%, 6%, 9% और 14%[10]/SGST/UTGST की समतुल्य दर भी लगाई जाएगी। IGST के लिए चार दरों की सेवाओं के लिए अधिसूचित किया गया है, 5%, 12%, 18% और 28%[11]व[12]। कुछ निर्दिष्ट सेवाओं के लिए, कर की शून्य दर अधिसूचित की गई है।

जुए की सेवाएं, मनोरंजन की सुविधाओं में प्रवेश के माध्यम से सेवाएं/मनोरंजन सुविधाओं तक पहुंच, IPL और इस तरह के किसी भी खेल के आयोजन, मनोरंजन पार्क में प्रवेश के माध्यम से सेवाएं, थीम पार्क, वाटर पार्क, जॉय राइड्स, मैरी–गो राउंडस, गो–कार्टिंग और बैलेट, 28% की उच्चतम दर (CGST @ 14% और SGST @ 14% या IGST @ 28%) को आकर्षित करें।

कई सेवाएं 5% (CGST @ 2.5% और SGST @ 2.5% या IGST @ 5%) की सबसे कम दर के अधीन हैं। उदाहरण के लिए, GTA सेवा पर इस शर्त के लिए @ 5% का कर लगाया जाता है कि उक्त सेवा की आपूर्ति में उपयोग किए गए माल/सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। इसी तरह रेस्तरां सेवा के लिए कर की दर बिना किसी इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5% है।

किसी भी विशिष्ट शीर्षक के तहत कवर नहीं की गई सेवाओं पर 18% (CGST @ 9% और SGST @ 9% या IGST @ 18%) की दर से कर लगाया जाता है।

निम्नलिखित पैरा में, रियल एस्टेट क्षेत्र में GST की प्रयोज्यता पर संक्षेप में चर्चा की गई है—

## रियल एस्टेट क्षेत्र में GST की दरें

(GST Rates in real Estate Sector)

प्रमोटरों द्वारा नई परियोजनाओं के लिए रियल एस्टेट क्षेत्र पर GST की प्रभावी दर इस प्रकार है—

**(i)** **किफायती घरों** के निर्माण पर ITC के बिना 1% (महानगरों में 60 वर्गमीटर/गैर–महानगरों में 90 वर्गमीटर और ₹ 45 लाख तक का मूल्य)।

**(ii)** ITC के बिना 5% निर्माण पर लागू है—

[10] अधिसूचित अधिसूचना संख्या 11/2017 (TCR) दिनांक 28.06.2017।

[11] अधिसूचित अधिसूचना संख्या 8/2017 IT (R) दिनांक 28.06.2017।

[12] छात्र ज्ञान प्रयोजनों के लिए सेवाओं के लिए GST दरों की पूर्ण अनुसूची के लिए CBIC वेबसाइट का उल्लेख कर सकते हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(a) सभी घर किफायती घरों के अलावा, और

(b) एक आवासीय रियल एस्टेट परियोजना (PREP) में वाणिज्यिक अपार्टमेंट जैसे दुकानें, कार्यालय आदि जिसमें वाणिज्यिक अपार्टमेंट का कारपेट क्षेत्र का 15% से अधिक नहीं है।

**शर्तें :**

उपर्युक्त शर्तों के अनुसार कर की दरें उपलब्ध होंगी :

(a) ITC उपलब्ध नहीं होगा।

(b) इनपुट और इनपुट सेवाओं का 80% [विकास के अधिकारों के अनुदान के माध्यम से सेवाओं के अलावा, भूमि का दीर्घकालिक पट्टा (प्रीमियम, सलामी, विकास शुल्क आदि के रूप में अग्रिम भुगतान के खिलाफ) या FSI (अतिरिक्त FSI सहित), बिजली उच्चगति डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस], सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त पंजीकृत व्यक्तियों[13] से खरीदा जाएगा।

धारा 9(4) के तहत अधिसूचित सेवाओं की आपूर्ति

**हालांकि, यदि पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से खरीदे गए इनपुट और इनपुट सेवाओं का मूल्य 80% से कम है, तो प्रमोटर की CGST अधिनियम की धारा 19(4) के तहत रिवर्स चार्ज के आधार पर GST का भुगतान करना होगा [पहले चर्चा की गई], 18% की दर से ऐसे सभी आवक आपूर्ति पर (पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से आवक आपूर्ति के 80% तक की कमी)।**

**इसके अतिरिक्त, जहां एक अपंजीकृत व्यक्ति से सीमेंट प्राप्त होता है, प्रमोटर ऐसे सीमेंट की आपूर्ति पर रिवर्स चार्ज आधार पर, CGST अधिनियम की धारा 9(4) के तहत लागू दर पर कर का भुगतान करेगा, जो वर्तमान में 28% है (CGST 14% + SGST 14%)।**

**इसके अलावा, पूंजीगत वस्तुओं पर GST का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर प्रमोटर द्वारा CGST अधिनियम की धारा 9(4) के तहत लागू दरों [अधिसूचना संख्या 07/2019 CT(R) दिनांक 29.03.2019। अधिसूचना संख्या 07/2019 IT(R) दिनांक 29.03.2019 के तहत किया जाएगा।**

[13] गहरे रंग में हाइलाइट किए गए पैरा के ऊपर चर्चा केवल छात्रों के ज्ञान के उद्देश्य के लिए है और परीक्षा के उद्देश्यों के लिए नहीं है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

**5. कम्पोजीशन करारोपण (CGST Act की धारा 10)** [Composition Levy (Section 10 of the CGST Act)]

| वैधानिक प्रावधान | |
|---|---|
| **धारा 10** | **कम्पोजीशन करारोपण** |
| **उप–धारा** | **विवरण** |
| (1) | इस अधिनियम में निहित किसी अन्यथा उल्लेख पर ध्यान नहीं देते हुए, परन्तु उप–धारा (3) और (4) और धारा 9 के अधीन कोई पंजीकृत व्यक्ति, जिसका पिछले वित्त वर्ष में सकल आवर्त ₹ 50 लाख से अधिक नहीं है, उसके द्वारा देयकर के स्थान पर, निर्धारित दर से संगणित कर राशि के भुगतान का विकल्प स्वीकार कर सकता है |
| | (a) राज्य में आवर्त का एक प्रतिशत निर्माता की स्थिति में। |
| | (b) राज्य या संघ क्षेत्र में आवर्त का दो और आधा प्रतिशत ऐसे मामलों में जहां कर दाता, अनुसूची II के पैराग्राफ 6 के वाक्य (b) में संदर्भित सेवाओं के प्रदान करने में लगा हुआ है, और |
| | (c) राज्य या संघ क्षेत्र में आवर्त का आधा प्रतिशत अन्य मामलों में ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन जो निर्धारित की जाय। |
| | ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है। |
| | बशर्ते कि सरकार की अधिसूचना, पचास लाख रुपये की उक्त सीमा को इतनी अधिक बढ़ा सकती है, एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं, जैसा कि परिषद द्वारा सिफारिश की जा सकती है। |
| | **इसके अतिरिक्त, एक व्यक्ति जो खण्ड (a) या खण्ड (b) या खंड (c) के तहत देने का निर्णय करता है, वह सेवाओं की आपूर्ति कर सकता है, (अनुसूची 11 के पैरा 6 के खण्ड (b) में निर्दिष्ट उन लोगों के अतिरिक्त), जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में कारोबार के मूल्य के 10% से अधिक नहीं है या ₹ 5 लाख में, जो भी अधिक हो।** |
| (2) | उप–धारा (1) के अधीन पंजीकृत व्यक्ति विकल्प के लिये ग्राह्य होगा, यदि– |
| | **(a) उप–धारा (1) के अनुसार, वह सेवाओं की आपूर्ति में संलग्न नहीं है।** |
| | (b) इस अधिनियम के अधीन गैर कर योग्य माल की पूर्ति में लगा हुआ नहीं हो। |
| | (c) वह अन्तर्राज्यीय वाह्य पूर्तियों में संलिप्त नहीं हो। |
| | (d) वह ऐसे किसी ई. कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा माल की पूर्ति में लिप्त नहीं हो, जो धारा 52 के अधीन TCS के लिये अपेक्षित हो। |
| | (e) परिषद् की अनुशंसा पर सरकार द्वारा अधिसूचित माल का निर्माता नहीं हो। |

© The Institute of Chartered Accountants of India

| | |
|---|---|
| | बशर्ते कि यदि एक से अधिक पंजीकृत व्यक्तियों का एक ही PAN है (आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन निर्गमित) पंजीकृत व्यक्ति उपधारा (1) में उल्लिखित स्कीम के विकल्प के लिये ग्राह्य नहीं होगा, जब तक कि ऐसे सभी पंजीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन कर भुगतान का विकल्प स्वीकार नहीं करते हैं। |
| (3) | उपधारा (1) के अधीन उपलब्ध विकल्प उस दिन से समाप्त हो जायेगा जिस दिन उसका गतवर्ष में सकल आवर्त उप–धारा (1) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है। |
| (4) | ऐसी पंजीकृत व्यक्ति जिस पर उपधारा (1) के प्रावधान लागू हैं, उसके द्वारा की गयी पूर्तियों पर प्राप्तकर्ता से कोई कर संग्रह नहीं करेगा और न वह इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिकारी भी नहीं होगा। |
| (5) | यदि, सम्यक अधिकारी के पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि कर योग्य व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन कर भुगतान, ग्राह्य नहीं होने पर भी किया है, ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अन्य प्रावधान के अधीन देयकर के अतिरिक्त, अर्थदण्ड का दायी होगा और धारा 73 और धारा 74 के प्रावधान यथा योग्य परिवर्तन के साथ, कर और अर्थदण्ड के निर्धारण के लिये लागू होंगे। |

## विश्लेषण (Analysis)

### योजना का परिदृश्य (Overview of the Scheme)

कंपोजीशन उद्ग्रहण छोटे करदाताओं के लिए डिजाइन किए गए कर का एक वैकल्पिक तरीका है जिसकी बिक्री निर्धारित सीमा तक है। कंपोजीशन स्कीम का उद्देश्य सादगी लाना और छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन लागत को कम करना है। मुख्य रूप से, कंपोजीशन स्कीम माल और रेस्तरां सेवा के आपूर्तिकर्ताओं के लिए उपलब्ध है, लेकिन कंपोजीशन आपूर्तिकर्ताओं की रचना के लिए चुनने के वर्ष में निर्दिष्ट सीमांत मूल्य तक की आपूर्ति की अनुमति है।

ऐसे छोटे करदाता जिनका पिछले वित्त वर्ष में सकल आवर्त ₹ 1.5 करोड़ तक है, कम्पोजीशन करारोपण के लिये पात्र होंगे।

कम्पोजीशन के विकल्पधारी पूर्तिकर्ता को माल/सेवाओं के वर्गीकरण स्कीम में लागू GST की दरों की चिन्ता करना आवश्यक नहीं है। उन्हें कर बीजक निर्गमित करना अपेक्षित नहीं है, वरन केवल 'पूर्तिबिल'[14] का निर्गमन करना है। प्राप्तकर्ता से कोई कर वसूल नहीं किया जाना है।

कंपोजीशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने का इच्छुक व्यक्ति निर्दिष्ट दर पर हर चालान पर कर का भुगतान करने के बजाय हर तिमाही अपने टर्नआवर के निर्धारित प्रतिशत पर कर का भुगतान करेगा। एक तिमाही के अंत में, वह कर का भुगतान करेगा,

[14] अध्याय 8 के शीर्षक—कर बीजक, क्रेडिट और डेबिट नोट्स, ई–वे बिल में विस्तार से विवेचित है—

© The Institute of Chartered Accountants of India

इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ का लाभ उठाए बिना कंपोजीशन आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिवर्ष रिटर्न दाखिल किया जाता है।

अन्तर्राज्यीय पूर्तिकर्ता और TCS के लिये उत्तरदायी ई–कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से पूर्तिकर्ता पंजीकृत व्यक्ति, कम्पोजीशन स्कीम का पात्र नहीं होगा। कम्पोजीशन स्कीम सम्बन्धी प्रावधान CGST Act 2017 की धारा 10 में उल्लिखित हैं और अध्याय II [समायोजन लेवी] CGST नियम 2017 में दिये गये हैं। इन नियमों को प्रासंगिक स्थानों पर शामिल किया गया है।

- **समायोजन लेवी के लिये कुल बिक्री की सीमा [धारा 10(1)]** (Turnover limit for Composition Levy [Section 10(1)])

CGST अधिनियम की धारा 10 समायोजन लेवी के लिये ₹ 50 लाख की कुल बिक्री सीमा प्रदान करती है। हालांकि धारा 10(1) के नियम परिषद् की सिफारिश पर सरकार को उक्त सीमा ₹ 50 लाख से ₹ 1.5 करोड़ तक बढ़ाने का अधिकार देती है।

सरकार की उक्त शक्ति के मद्देनजर धारा 10(1) के नियम के अनुसार समायोजन लेवी के लिये कुल बिक्री सीमा बढ़ाने के लिये, सभी योग्य पंजीकृत व्यक्ति के लिये CGST और SGST के उद्देश्यों के लिये समायोजन लेवी के लिये ₹ 50 लाख से बढ़कर ₹ 1.5 करोड़ कुल बिक्री सीमा अधिसूचना संख्या. 14/2019 CT दिनांक 07/03/2019 में संशोधन किया गया है।

हालांकि, उक्त अधिसूचना बताती है कि विशेष श्रेणी के 8 राज्यों के सम्बन्ध में समायोजन लेवी की कुल बिक्री सीमा 75 लाख होगी। नामतः

| विशेष श्रेणी के राज्य | |
|---|---|
| अरुणाचल प्रदेश | मिजोरम |
| उत्तराखण्ड | नागालैण्ड |
| मणिपुर | सिक्किम |
| मेघालय | त्रिपुरा |

* **असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर** के मामले में कुल बिक्री सीमा ₹ 1.5 करोड़ होगी।

दूसरे शब्दों में, यदि विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा किसी राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश (असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) में आपूर्तिकर्ता की कुल बिक्री पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में ₹ 1.5 करोड़ तक है, तो कहा गया कि आपूर्तिकर्ता समायोजन के लिये पात्र है।

**उदाहरण** एक डीलर 'पृथ्वीराज' के महाराष्ट्र और गोवा में कार्यालय हैं। वह इन दोनों कार्यालयों से माल की अन्तर्राज्यीय आपूर्ति करता है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या 'पृथ्वीराज' कंपोजीशन स्कीम का लाभ उठाने के योग्य है, दोनों कार्यालयों के टर्नओवर को ध्यान में रखा जाएगा और यदि यह ₹ 1.5 करोड़ से अधिक नहीं है, तो

© The Institute of Chartered Accountants of India

कंपोजीशन उदग्रहण स्कीम का लाभ उठाने का विकल्प (अन्य निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन) दोनों कार्यालयों के लिए चुन सकते हैं।

**₹ 1.5 करोड़ की सीमा की गणना करते समय, 'कुल बिक्री' के निहित और पृथक इस प्रकार हैं :**

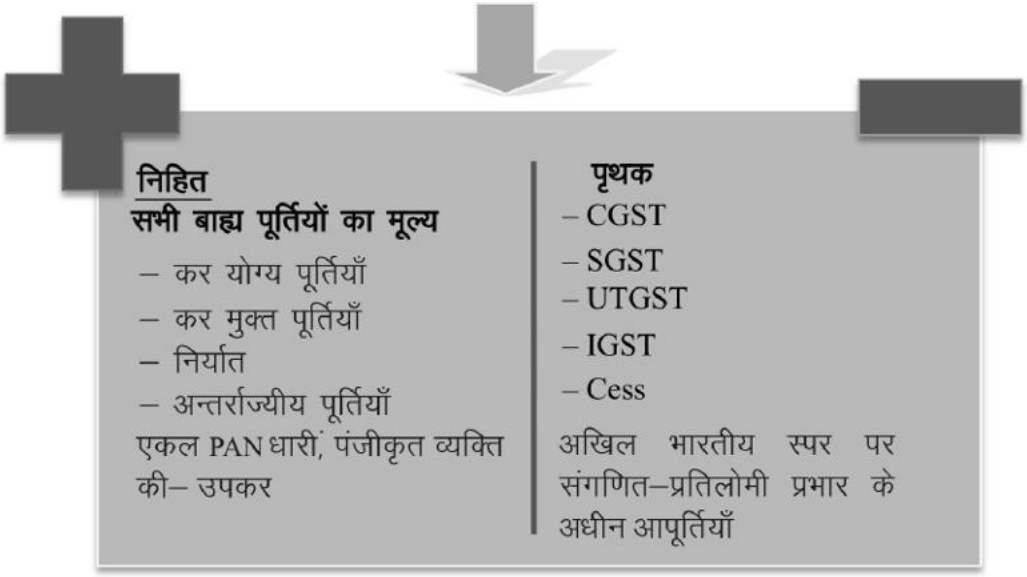


**उदाहरण** डीलर श्रीराम के दिल्ली में दो कार्यालय हैं। उनको कम्पोजीशन स्कीम की ग्राह्यता के निर्धारण के लिये दोनों कार्यालयों का संयुक्त आवर्त ₹ 1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। (अन्य शर्तों की पूर्ति की संतुष्टि के अधीन श्रीराम कम्पोजीशन का विकल्प अपना सकते हैं।)

**समायोजन लेवी योजना के अन्तर्गत कर की दर ? [धारा 10(1) नियम 7 के साथ पढ़ें]**
Rates of tax under the composition levy Scheme? [Section 10(1) read with rule 7]

एक पंजीकृत व्यक्ति, जिसकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार ₹ 1.5 करोड़ से अधिक नहीं है, उसके द्वारा देय कर के बदले, चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्धारित दरों (नीचे सारणी में उल्लिखित) पर गणना की गयी राशि का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है।

| क्र. सं. | पंजीकृत व्यक्ति की श्रेणी | कर दी दर* |
|---|---|---|
| 1. | निर्माता,ऐसी वस्तुओं के निर्माताओं के अलावा जिन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है यानि आइस क्रीम, पान मसाला या तम्बाकू। | राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश** में कुल बिक्री का $\frac{1}{2}$ %[15] |

[15] प्रभावी दर 1 % (CGST + SGST/UTGST)

© The Institute of Chartered Accountants of India